संख्याः 146/9–आ–3–98–7वि0/98

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 22 जनवरी, 1998

विषय, भवन मानचित्र स्वीकृति के समय पर्यवेक्षण शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा भवन निर्माण मानचित्रों की स्वीकृति के समय निर्माणकर्ता से पर्यवेक्षण शुल्क वसूल किया जाात है। वह पर्यवेक्षण शुल्क अलग–अलग प्राधिकरणों में अलग–अलग दर में वसूल किया जाता है। शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विकास विनियमन हतु पर्यवेक्षण शुल्क का निर्धारण वास्वविक व्यय के आधार पर सभी प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवस एंव विकास परिषद में समान रूप से किया जाय। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा–92(2) तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम की धारा 41(1) के अधीन निम्न निदेश देते हैं :–

1. प्रस्तावित भवन के तल क्षेत्रफल को आधार मानते हुए पर्यवेक्षण शुल्क की दरे रू0 5.00 प्रति वर्गमीटर समान रूप से लागू की जाय।
2. यह शुल्क विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद में भवन निम्राण सवीकृति प्राप्त करने हेतु जमा किये गये 100 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों के भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में वसूले जायेंगे।
3. उक्त दर वर्तमान कास्ट इण्डेक्स पर आधारित है। अतः विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपने स्तर पर ही प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा घोषित कास्ट इण्डेंक्स के आधार पर उक्त दर को अद्यावधिक किया जायेगा।

2. कृपया उपरोकत आदेशों का अनुपालन तात्कालिक प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्याः 146(1)/9–आ–3–98,तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
4. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,

पी0एन0 सिंह
अनुसचिव